

दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना

जनपद गोण्डा में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा वन प्रभाग गोण्डा के अन्तर्गत गोण्डा-बलरामपुर रोड, (एस0एच0-1ए) के कि0मी0 सं0-167, (चैनेज संख्या-166.925) के मध्य बांयी पटरी पर गाटा सं0-415 व 416 ग्राम करमडीह बेलवा, तहसील व जिला गोण्डा में प्रस्तावित किए गये रिटेल आउटलेट स्थल से मुख्य मार्ग में आवागमन में प्रभावित 0.214959 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के अन्तर्गत संरक्षित वनभूमि पर गैर वानिकी प्रयोग हेतु दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना:-

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के क्रम में भारत सरकार की पत्र सं0-11-42/2017/एफ0सी0 दिनांक 19.01.2018 एवं भारत सरकार के पत्र सं0-एफ0एन0-5-3/2007(एफ0सी0 डिवीजन) दिनांक 05.02.2009 में संशोधित पत्र संख्या-एफ0एन0-5-3/2011, एफ0सी0 (Vol-I) दिनांक 06.01.2022 व दिनांक 19.01.2022 द्वारा निर्धारित एन0पी0वी0 रेट के अनुसार गणना

एन0पी0वी0 की गणना:- $= 0.214959 \times 9,57,780 = 205883.43$

दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना 2021 से 2024 तक:-

$$= 205883.43 \times 4 = 823533.72$$

4 वर्ष का ब्याज:-

$$= \frac{823533.72 \times 4 \times 12}{100} = 395296.19$$

कुल दण्डात्मक एन0पी0वी0:-

$$= 823533.72 + 395296.19 = 1218829.91$$
$$= 1218830.00$$

प्रभागीय वनाधिकारी,
गोण्डा वन प्रभाग,
गोण्डा (उ0प्र0)